

## प्रेस नोट थाना उरुवा बाजार दिनांक – 18.10.2020

### गैंगेस्टर एक्ट मे वान्छित अभि० से एक अदद 315 बोर तमन्चा व एक अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18.10.2020 को मुझ थानाध्यक्ष की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्तुरबा विद्यालय मोड़ पतरैठा के पास से गैंगेस्टर एक्ट मे वान्छित अभि० को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से नाजायज एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का समय, दिनांक – 18.10.2020 व समय- 6.20 सुबह

स्थान - कस्तुरबा विद्यालय मोड़ के पास पतरैठा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. कपिल यादव पुत्र दृगपाल यादव उम्र 34 वर्ष निवासी भरथरी थाना उरुवा बाजार गोरखपुर

### अभियुक्त का अपराधी इतिहास

1. मुअ०स०-24/20 धारा 307 भादवि व 3/5/8 गौबध निवारण अधिनियम व 11/12 पशु क्रूरता निवारण अधि० थाना उरुवा बाजार गोरखपुर
2. मुअ०स०-567/20 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि० थाना उरुवा बाजार गोरखपुर
3. मुअ०स०-568/20 धारा 3/25 A ACT थाना उरुवा बाजार गोरखपुर

### बरामदगी-

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर
2. एक अदद कारतूस 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

- (1) एसओ श्री दुर्गेश कुमार सिंह थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- (2) उ०नि० श्री अनूप सिंह थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- (3) उ०नि० श्री अजीत कुमार यादव थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- (4) हे०का० हनुमान यादव थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर
- (5) हे०का० आफताब आलम थाना उरुवा बाजार
- (6) का० बलवीर सिंह - थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर